न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर आरसीटी116/17</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-6/17</u> <u>संस्थापित दिनांक-04.04.17</u>

मध्यप्रदेश राज्य	 द्वारा :—				
	•				
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।					
अभियोजन					
विरुद्ध					
01—सरदारसिह	पुत्र जोरावलसिह	यादव	आयु	36	वर्ष
निवासी ग्राम चुरारी जिला अशोकनगर म०प्र०					
				आ	रोपी
राज्य द्वारा	राज्य द्वारा ः– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।				
आरोपी द्वारा	:– श्री पटान	ा अधिव	क्ता i		

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 04.01.2018 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323,294,506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 323,294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मुक्ताबाई ने दिनांक 20.02.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.02.17 समय 07:30 बजे आरोपी ने आकर गालियां दी तथा लाठी से मारा जिससे उसे चोट आई और साथ ही रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 69/17 के अंतर्गत भादिव की धारा 294,323,506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294,323,190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.02.17 को समय 19:30 बजे फरियादिया के घर के सामने ग्राम चुरारी पर फरियादी मुक्ताबाई को लोकसेवक से संरक्षा के लिये आवेदन करने से विरत रहने के लिए क्षति की धमकी दी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मुक्ताबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

- 08— अभियोजन साक्षी 01 मुक्ताबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को उसका आरोपी से वाद विवाद एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिस पर से उसने रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दिनाक को आरोपी ने फरियादी को रिपार्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग–01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी